प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 6/2000

अपीलकर्ता: अशोक कुमार उम्र 27 वर्ष
पिता श्री भगवत सतनामी
निवासी ग्राम मुरकुटा
थाना नवागढ़ जिला दुर्ग

विरूद्ध

प्रत्यर्थीः मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा
थाना प्रभारी, थाना नवागढ़
जिला दुर्ग

अपीलकर्ता की ओर से – श्री आर. के. जैन. अधिवक्ता
प्रत्यार्थी/राज्य की ओर से – श्री एस.पी. एस.भाटिया पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णयः

दिनांक 8 नवम्बर 2005 को प्रदान किया गया

विजय कुमार श्रीवास्तव न्यायाधीश के अनुसार

1 यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बेमेतरा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 161/2000 में दिनांक 29–09–2000 में पारित दोषसिद्धि और दण्डादेश के निर्णय के विरूद्ध दायर की गई है ,जिसके द्वारा अपीलकर्ता अशोक कुमार को भारतीय दण्ड संहिता कि धारा 450 एवं 376(2) के अंतर्गत दोषी ठहाराते हुऐ 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200/–रूपये जुर्माना (जुर्माना अदा न करने पर 1 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास) तथा 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/–रूपये जुर्माना (जुर्माना अदा न करने पर 2 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास) से दंडित किया गया है, तथा यह निर्देशित किया गया है कि दोनों मुख्य दंडादेश साथ–साथ चलेगें।

2 इस अपील के निराकरण के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिनांक 01 –12 –1999 को जब पीड़िता जिसकी आयु लगभग 10 वर्ष थी अपने घर पर अकेली थी ,तब अपीलार्थी उसके घर में घुस गया और उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संभोग किया । उसी समय उसका भाई शशिकांत उर्फ सुशील घर आया तथा उसने घटना को देखा, अपीलार्थी ने देखा की शशिकांत उर्फ सुशील आया है, तब उसने पीडिता को छोडा और घटना स्थल से भाग गया। शशिकांत उर्फ सुशील खेत में गया रामबाई को पुरी बात बताया । तब राम बाई अपने घर आई और उसने पीडिता जो उसकी बेटी है के गुप्तांगों की जांच कि, उसने यह भी देखा कि वीर्य जमीन पर पडा था और अपीलार्थी द्वारा एक

चप्पल भी छोडी गई थी, वह अपनी बेटी को लेकर नवागढ पुलिस थाना गई और और पुलिस को घटना की सूचना दी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कि गई तथा और पुलिस द्वारा मामले का अन्वेषण किया गया। अन्वेषण के दौरान, पीड़िता के स्कर्ट तथा अंडरवियर उसकी मां रामबाई से जब्त किया गया। सादी मिट्टी, वीर्य से सनी मिट्टी तथा एक चप्पल घटनास्थल से बरामद एवं जप्त किया गया तथा एक चप्पल अपीलार्थी से जब्त कि गई। पीड़िता की उम्र प्रमाणित करने के लिए कोटवार रजिस्टर अर्थात जन्म–मृत्यु रजिस्टर को कोटवार गरीबदास से बरामद कर जब्त कर लिया गया।

3 अपीलार्थी तथा पीड़िता को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ पी के बाजपेयी ने अपीलार्थी अशोक कुमार का परीक्षण किया तथा डॉ श्रीमति एस. रॉय ने पीड़िता की जांच किया, परीक्षण उपरान्त उन्होंने पीड़िता के योनि स्मीयर से स्लाइड भी तैयार किया और रासायनिक परीक्षण के लिए स्लाइड पुलिस को भेजा । उम्र कि पुष्टि के लिए डॉ ए.के. साहू द्वारा अस्थि जांच करवाया गया। दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत गवाहों का परीक्षण किया गया। घटना स्थल से बरामद मिट्टी, पीड़िता से संबंधित अंडरवियर तथा स्कर्ट, अपीलार्थी का एक अंडरवियर तथा विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा एकत्रित पीड़िता के योनि स्मीयर से चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार स्लाइड को परीक्षण के लिए न्यायायलिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया। परीक्षण करने पर मिट्टी को छोड़कर अन्य किसी वस्तु पर वीर्य या शुक्राणु नहीं पाये गये। विवेचना के पूर्ण होने के उपरान्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,बेमेतरा के न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया गया। जिसने मामले को सत्र न्यायालय को विचारण के लिए उपार्पित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता कि धारा 450 तथा 376 (2) के अंतर्गत आरोप विरचित किए गये। तथा उसे पढ़ाकर सुनाया गया और समझाया गया। उसने अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया। विचारण के दौरान उसका बचाव यह था कि वह निर्दोष है तथा शत्रुतापूर्ण संबंध के कारण उसे मामले में झूठा फंसाया गया है।

5 पीड़िता बहरी, गूंगी तथा अंधी है इस तथ्य को अपीलार्थी द्वारा चुनौती नहीं दी गई। और न ही उसकी उम्र तर्क के दौरान चुनौती का विषय रहा है, पीड़िता की मां रामबाई अ०सा० – 1, उसका भाई शशिकांत उर्फ सुशील अ०सा० – 2, तथा उसके पिता गेंदलाल अ०सा० – 3, के साक्ष्यों से यह स्थापित होता है कि पीड़िता बहरी, गूंगी, और अंधी है इन सब साक्षियों ने भी पीड़िता की उम्र 10 वर्ष के आसपास होने के समर्थन में साक्ष्य दिया है। कोटवार गरीबदास अ०सा०– 7, ने जप्त जन्म–मृत्यु रजिस्टर में पीड़िता के जन्म की प्रविष्ठी को सबित किया है और उस रजिस्टर के अनुसार जन्म दिनांक 01–10–1989 है इसका अर्थ है कि घटना दिनांक को जप्त जन्म–मृत्यु रजिस्टर के अनुसार पीड़िता की उम्र 10 से 11 वर्ष के बीच थी। डॉ ए. के. साहू ने अस्थि जांच के आधार पर अपने साक्ष्य में अभिकथित किया है कि लडकी की उम्र 10 वर्ष के आस–पास थी इसलिए इन सभी साक्ष्यों से यह स्थपित हुआा है कि घटना कि दिनांक को उसकी उम्र लगभग उम्र 10 वर्ष थी।

6 अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 तथा अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता के साथ प्रवेशन एवं संभोग का समर्थन करने के लिए साक्ष्य विद्यमान नही है, उन्होंने आगे तर्क दिया कि पीड़िता का परीक्षण न तो विवेचना के दौरान किया गया है, और न ही न्यायालय में उसका परीक्षण किया गया है, न्यायालय द्वारा विश्वास किया गया एकमात्र साक्ष्य शशिकांत उर्फ सुशील अ०सा०– 2, है जिसने न्यायालय में कहा है

कि उसने अपीलार्थी को पीड़िता का बलात्कार करते देखा था, फिर भी पुलिस के सामने अपने साक्ष्य में उसने उक्त कहानी नहीं कही थी, इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता कि धारा 161 के तहत दर्ज किए गए उसके कथन में महत्वपूर्ण लोप होने के कारण बलात्कार के संबंध में न्यायालय के समक्ष दिए गये उसके कथन पर न तो विश्वास किया जा सकता है और न ही उसे सत्य स्वीकार किया जा सकता है। अन्य गवाहों ने घटना को नहीं देखा है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि संभोग या बलात्कार का समर्थन करने के लिए चिकित्सकीय साक्ष्य नकारात्मक है, और रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट भी संभोग के तथ्य का समर्थन नहीं करती है दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि पीड़िता गूंगी, बहरी, और अंधी थी तथापि पुलिस और न्यायालय द्वारा उसका परीक्षण नहीं किया जा सका । फिर भी घटना स्थल से बरामद और जप्त मिट्टी में वीर्य पाया गया तथा साक्षी शशिकांत उर्फ सुशील अ०सा०– 2, ने यद्यपि दण्ड प्रक्रिया संहिता कि धारा 161 के अंतर्गत अपने कथन में यह तथ्य नही बताया कि वह बलात्कार की घटना का साक्षी है, तथापि उसने न्यायालय में शपथ पर बलात्कार की कहानी का समर्थन किया। इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बलात्कार और गृह अतिचार के अपराध के लिए अपीलार्थी को सही ढ़ंग से दोषी ठहराया है।

7 आक्षेपित निर्णय से यह स्पष्ट है कि विवेचना के द्वौरान पुलिस द्वारा पीड़िता की परीक्षण नहीं कि गई तथा न्यायालय ने भी उसका परीक्षण नहीं किया क्योंकि वह बहरी, गूंगी, और अंधी थी तथा साक्ष्य देने में असमर्थ थी, इसलिए संभोंग का समर्थन करने के लिए पीड़िता का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, एक मात्र साक्षी शशीकांत उर्फ सुशील अ०सा०– 2, को चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है जिसने घटना को देखा है । शशिकांत उर्फ सुशील अ०सा०– 2, ने अपने कथन में बताया है, कि जब वह स्कूल से आया और अपने घर में दाखिल हुआ उसने अपीलार्थी को अपनी बहन के साथ बलात्कार करते देखा, अपीलार्थी उसे देखकर वहां से भाग गया। पुलिस के समक्ष उसका कथन प्रदर्श डी–1 है। प्रदर्श डी –1 में उसने नहीं कहा कि उसने अपीलार्थी को अपनी बहन के साथ बलात्कार करते देखा था, बल्कि उसने केवल यह कहा कि जब वह अपने घर मे दाखिल हुआ तब उसने अपीलार्थी को दीवार से कूदते देखा था, तथा उसकी बहन जमींन पड़ी थी। यदि साक्षी ने अपीलार्थी को बलात्कार करते देखा था, तो उसे पुलिस के समझ भी यही कथन करना चाहिए था। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण विरोधाभास के होने पर न्यायालय के समक्ष उसका यह कथन कि उसने अपीलार्थी को अपनी बहन के साथ बलात्कार करते देखा था, कहा तक सत्य माना जा सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यह माना है कि पुलिस के कथन मे एक महत्वपूर्ण लोप है ।

8 डॉ पी. के. बाजपेयी अ०सा०– 6 जिन्होंने अपीलार्थी का परीक्षण किया, ने अपने कथन में कहा कि परीक्षण करने पर उन्हें अपीलार्थी के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं मिली और न ही उसकी जांघ में भी तथा पेरिनियल क्षेत्र कोई नहीं चोट पाई गयी। डॉ. श्रीमती एस. राय. अ०सा०–14, ने पीड़िता का परीक्षण किया है, उसने अभिकथित किया है, कि उसके शरीर, जांघ या पेरिनियल क्षेत्र पर कोई चोट नहीं पाई गयी उसने यह भी कहा की आंतरिक जांच करने पर उन्हें योनि स्वस्थ मिली और उसके अंदर चोंट नहीं पाई गई। किन्तु हल्का रक्त स्त्राव हुआ था, उसका मानना था कि यह मासिकधर्म अर्थात माहवारी के कारण था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9 प्रदर्श डी –18 रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट है, रासायनिक परीक्षक को डॉ. श्रीमति एस. राय. अ०सा०– 14, के द्वारा पीड़िता के योनि स्मीयर से तैयार स्लाइड पर और उसके कपड़ों अर्थात अंडवियर, तथा स्कर्ट पर भी वीर्य या शुक्राणु नहीं मिले। यहाँ तक अपीलार्थी के अण्डवियर, पर भी वीर्य या शुक्राणु मौजूद नहीं थे । तथा एकत्र किये गए अन्य साक्ष्यों में माता, पिता तथा अन्य लोंगो के साक्ष्य शामिल थें। जिन्हें घटना के बारे में दूसरों से पता चला था।

10 संभोग या प्रवेशन का समर्थन करने के लिए पीड़िता का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा अन्य साक्ष्य अर्थात चिकित्सीय साक्ष्य और रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट भी इसका समर्थन नहीं करती है। तथा शशिकांत उर्फ सुशील अ०सा०– 2, का साक्ष्य महत्वपूर्ण बिंदु पर विरोधाभासी है, विसंगतियों पर विधि में स्थापित है कि साक्ष्य में सामान्य विसंगतियां है जो सामान्य त्रुटियों के कारण अवलोकन में होती है। समय बीतने के कारण स्मृति के सामान्य त्रुटि, घटना के समय सदमें और भय जैसे मानिसक स्वभाव के कारण होते है। तथा ये हमेशा मौजूद रहते हैं। महत्वपूर्ण विसंगातियां वे है, जो सामान्य नहीं है। और एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं है। जबकि सामान्य विसंगातियां साक्षी के विश्वसनीयता को कम नहीं करती है। महत्वपूर्ण विसंगातियां ऐसा करती है इसलिए शशीकांत उर्फ सुशील अ०सा० –2, के साक्ष्य पर यह दर्ज करने के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी नें पीड़िता के साथ बलात्कार किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11 यह स्थापित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, कि पीड़िता पर संभोग या प्रवेशन अपीलकर्ता या किसी अन्य द्वारा किया गया है। इसलिए पीड़िता पर बलात्कार करने के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराना विश्वसनीय साक्ष्य के बिना है। इसलिए बलात्कार के अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराने वाला अधीनस्थ न्यायालय का निकर्ष गलत है और अपास्त किये जाने योग्य है ।

12 रामबाई अ०सा०– 1, के घर के अंदर अपीलार्थी, पाया गया। जो शशिकांत उर्फ सुशील अ०सा० – 2, के आने पर दीवार कूद कर भाग गया। यह शशिकांत उर्फ सुशील अ०सा०– 2, के साक्ष्य से सिद्ध होता है परंतु अपीलार्थी, ने बलात्कार का अपराध करने के लिए घर में प्रवेश किया था यह सिद्ध नहीं हुआ है । इसलिए जहां तक गृह – अतिचार का प्रश्न है, अपीलार्थी, इसके लिए दोषी है। तथा भारतीय दण्ड संहिता कि धारा 448 के अंतर्गत दण्डित किये जाने का पात्र है। किंतु भारतीय दण्ड संहिता कि धारा 450 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया नहीं जा सकता है।

13 परिणाम स्वरूप अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भारतीय दण्ड संहिता कि धारा 450 धारा 376 (2) के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता कि धारा 448 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया जाता है। और उसे 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 200/–रूपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है तथा जुर्माना अदा न किये जाने पर एक महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास का दंड भुगतना होगा ।

सही /–
वी०के० श्रीवास्तव
न्यायाधीश
08–11–2005

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Pooja Agrawal

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur